

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 234/2022

दिनांक : 9/1/2022

1. दीपक पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. महेन्द्र पिता गोर्धन जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अरविन्द्र राव पिता महावीर प्रसाद राव जाति राव वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. मोहन पिता भुरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. खाना पिता खेमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
4. छीतर पिता उदयलाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 9/1/2022

प्रार्थना पत्र हम दीपक पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़, महेन्द्र पिता गोर्धन जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 184 पर अंकित आराजी नम्बर 720/314रकबा 0.4371 कुल किता 01 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भूमि जो स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक बिजौलिया कंला को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रु की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 184 पर अंकित आराजी नम्बर 720/314रकबा 0.4371 कुल किता 01 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भूमि जो विशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 234/2022

दिनांक :- 9/6/2022

प्रेषित :-

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या 934/2022 पत्थरगढी बाबत ।

1. दीपक पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।
2. महेन्द्र पिता गोर्धन जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अरविन्द्र राव पिता महावीर प्रसाद राव जाति राव वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।
2. मोहन पिता भुरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।
3. खाना पिता खेमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
4. छीतर पिता उदयलाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 184 पर अंकित आराजी नम्बर 720/314रकबा 0.4371 कुल किता 01 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भूमि जो की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिनिरक्षिक बिजौलिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रु की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सूचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

8
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा